International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

मलिन बस्तियों में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण

श्रीमती मायादेवी सकठू
सहायक आचार्य,समाजशास्त्र विभाग,आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज,शाहजहाँपुर

सारांश
भारतीय समाज में जातिगत एवं लैंगिक विषमताएं प्रमुख एवं सर्वाधिक कठोर हैं। लैंगिक विषमता को सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है, जो संस्थागत एवं सार्वभौमिक है। समुचित शिक्षा के अवसर तथा सम्पत्ति में समानता का अभाव, सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य में शारीरिक निर्बलता के नाम पर नारी शोषण जैसे भेदभाव एवं विषमताएं मलिन बस्तियों में और भी प्रबल रूप में विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

कुंजी शब्दःमलिन बस्ती, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के आयाम

प्रस्तावना

प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की सामाजिक स्थिति उनके आदर्शों और कार्यों के अनुसार निश्चित होती है। इन आदर्शों और कार्यों का निर्धारण उस समाज की संस्कृति करती है। संस्कृति यह निश्चित करती है कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों और पुरुषों का महत्व कितना है और उनके क्या–क्या कार्य हैं। ये महत्व और कार्य ही यह निश्चित करते हैं कि समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के ऊपर, बराबर या नीचे होगा (मोहन, 2012:43)।

महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का षडयंत्र इसलिए किया गया कि न वह शिक्षित होंगी और न ही वह अपने अधिकारों की माँग करेंगी। अर्थात् उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाये रखने में सुविधा होगी। इसी कारण आज भी महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है, जबकि देश की सर्वांगीण प्रगति में एक सजग, सफल, सुयोग्य नागरिक के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक महिला का शिक्षित होना अति आवश्यक है (नारंग, 2009:400)।

महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होने की सच्चाई को स्वीकार करने के समग्र और वृहद दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलता है। अब यह बात सर्वथा स्वीकार की जा रही है कि ये तीनों आपस में ऐसी जुड़ी हैं कि एक भी आयाम के कमजोर होने अथवा अनुपस्थित होने से अन्य अंगों द्वारा जनित संवेग ज्यादा समय तक बना नहीं रह सकता। जब इन तीनों कारकों पर एक साथ काम होगा और तीनों को एक–दूसरे के अनुकूल बनाया जाएगा, तभी महिलाएं

वास्तव में सशक्त बन सकेंगी (सिंह, 2012:41)। श्रीवास्तव एवं जैन (2013:161) के अनुसार सामाजिक विकास की कोई भी संकल्पना तब तक अधूरी है जब तक उस देश की समस्त आबादी का समान विकास न हो। जब किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उस देश की महिला व पुरुष दोनों ही इकाईयों का योगदान होगा, तभी वह राष्ट्र विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।

उदारीकरण के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ने व समग्र रोजगार की कमी होने से पुरूषों पर आर्थिक एवं मनो–सामाजिक दबाव बन रहा है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में इण्टरनेट व सोशल मीडिया के अतिप्रयोग के कारण पुरुषों एवं उच्च जातियों द्वारा महिलाओं एवं दलितों के प्रति हिंसा की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। इसने जहाँ एक ओर नृजातीय विषमता को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की बढ़ती महत्वाकांक्षा भी लैंगिक अपराध के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है (कुमार, 2018:43)।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) के 17 उद्देश्यों में से जिन्हें विश्वव्यापी सामंजस्य और सद्भाव के लिए अनिवार्य माना जाता है, लिंग संतुलन और महिला सशक्तिकरण के लिए उद्देश्य–5 को दोनों लिंगों को समान अवसर देकर दुनिया को बदलने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण अनुभवजन्य साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि लिंग असंतुलन, काफी हद तक, आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुँचाता है (क्लासेन, 2002), और रोजगार और शिक्षा में लिंगभेद राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है (क्लासेन & लामन्ना, 2009)।

भारतीय समाज में जातिगत एवं लैंगिक विषमताएं प्रमुख एवं सर्वाधिक कठोर हैं। लैंगिक विषमता का तात्पर्य लिंग/जेण्डर के आधार पर स्त्रियों एवं पुरूषों में भेद से है। लैंगिक विषमता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। कुछ विचारक इस लैंगिक विषमता को सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं, जो संस्थागत एवं सार्वभौमिक है। समुचित शिक्षा के अवसर तथा सम्पत्ति में समानता का अभाव, सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य में शारीरिक निर्बलता के नाम पर नारी शोषण जैसे भेदभाव एवं विषमताएं मलिन बस्तियों में और भी प्रबल रूप में विद्यमान हैं (यादव, 2019)।

लैंगिक असमानता के व्यावहारिक कारणों से महिलाओं को अपने घर परिवार व समाज में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है (मोतीयानी, 1998:63)। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हुए हम देखते हैं कि समानता के संवैधानिक आश्वासन व व्यवस्था के बावजूद पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मजबूत पकड़ की वजह से लैंगिक विषमताओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका है। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की जड़ें दरअसल सत्ता व शक्ति सम्बन्धों, जाति, वर्ग संस्तरण, सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराओं, प्रथाओं व नियमों पर आधारित रही हैं (शर्मा, 2003)।

मलिन बस्तियों में रहने वाली अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से तो आत्मनिर्भर होती हैं, परन्तु उनके हाथ में अधिकार नहीं होते हैं। इन महिलाओं की आय में पति या परिवार

के अन्य पुरुष सदस्यों का अधिकार होता है। यह भी देखने में आता है कि दिनभर मजदूरी करने के उपरान्त जब वे घर लौटती हैं, तो उनकी अवेहलना की जाती है तथा उन पर अत्याचार भी होता है (शर्मा & जैन, 2023)।

प्रस्तुत शोधपत्र में लखनऊ महानगर में स्थित मलिन बस्तियों की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य– वर्तमान अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य लखनऊ नगर में स्थित मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत् हैं–

- साशक्तिकरण की अवधारणा तथा महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आयामों का विवेचन करना।
- मलिन बस्तियों की उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा का सैद्धान्तिक विश्लेषण करना।
- चयनित उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्थिति का विवेचन करना।
- चयनित उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
- चयनित उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- चयनित उत्तरदाताओं की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना।

सशक्तिकरण की अवधारणा

सशक्तिकरण अंग्रेजी शब्द 'इम्पॉवरमेन्ट' का हिन्दी रूपान्तरण है। इम्पॉवरमेन्ट शब्द ग्रीक भाषा के 'इम्पो' शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'टू गिव राइट' (अधिकार प्रदान करना)। सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है 'शक्ति प्रदान करना' अथवा 'कुछ शारीरिक व मानसिक कृत्यों के लिए क्षमता देना'। वहीं सशक्तिकरण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अर्थ हैं– निःशक्तों को अधिकार प्रतिनिधान करना, समर्थ बनाना, और विभिन्न शक्तियों से सम्पन्न करना। सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निःशक्त व्यक्ति स्वयं पर तथा संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करता है (शर्मा & विनायक, 2004:36)। सशक्तिकरण की अवधारणा एक प्रकार से स्वाधीनता से सम्बद्ध है अर्थात् इसे जीवन यापन की स्थिति में सुधार लाने की क्षमता प्राप्त करना भी समझा जा सकता है। सशक्तिकरण का तात्पर्य निःशक्तों का सशक्तों पर शासन करने से कतई नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य भौतिक तथा अन्य संसाधनों पर उन्हें नियंत्रण प्राप्त करने तथा जोखिम कम करने की क्षमता में वृद्धि करना है (शर्मा & झा, 2008:33)।

सामाजिक शब्दकोश के अनुसार सशक्तिकरण का अभिप्राय ''व्यक्तियों को अपने हितों को चुनने का अधिकार, वैसा करने का अधिकार जैसी स्थिति वे पाना चाहते है, और उस एक मात्र तरीके से करने का अधिकार जिसमें उनकों कुछ प्राप्त हो और जिससे वे अपना जीवन स्वनियंत्रित बना सके। विश्व बैंक समूह (2018) के अनुसार, सशक्तिकरण व्यक्तियों या

समूहों की विकल्प बनाने और उन विकल्पों को वांछित कार्यों और परिणामों में बदलने की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है।

बारकर (1991:39) के अनुसार सशक्तिकरण को प्रायः सामुदायिक क्षमता के निर्माण के सम्बन्ध में देखा जाता है जो कि सामाजिक–आर्थिक संसाधनों की सामुदायिक अभिरुचि में बढोत्तरी करता है, ऐसी अभिरुचि व्यक्ति और समुदाय के विकास पर केन्द्रित होती है। सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता अधिष्ठानों में निःशक्तों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता नहीं है, बल्कि उन्हें अधिकारों के प्रति जागरुक करना है (शर्मा & झा, 2008:47)।

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जो व्यक्तिगत भी है एवं सामाजिक भी। यह प्रक्रिया सहयोग पर आधारित है जो लोगो में उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर स्वतन्त्र निर्णय लेने की शक्ति का संचार करती है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया के अभिन्न अंगों में शक्ति संरचना पर नियंत्रण करना, सहभागिता तथा विकास की दिशा को प्रभावित करना, अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, विश्लेषणात्मक योग्यता, जागरूकता एवं गतिशीलता में बढ़ोत्तरी, तथा समुदाय के बीच अपनी एक स्पष्ट पहचाना बनाना आदि सम्मिलित हैं (प्रसाद, 2016)।

सशक्तिकरण को 'बहु–आयामी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लोगों को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में शक्ति को बढ़ावा देती है, जिसका उपयोग वे अपने जीवन, अपने समुदायों और अपने समाज में उन मुद्दों पर कार्य करके कर सकते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं' (पेज & जुबा, 1999)।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने व उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है (सेट्टी & मूर्ति, 2001:81)।

मोजर (1989) के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आन्तरिक शक्ति में वृद्धि करना है। इसे जीवन में विकल्पों को निर्धारित करने और भौतिक एवं गैर–भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करके परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने का अधिकार प्राप्त करने की क्षमता के रूप में पहचाना जाता है। पिल्लई (1995) के अनुसार "महिला सशक्तिकरण एक सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास कराने में सक्षम बनाती है। कबीर (1999) ने महिला सशक्तिकरण को 'ऐसे संदर्भ में रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जहाँ पहले उन्हें यह क्षमता नहीं दी गई थी'।

महिलाओं के सशक्तिकरण को उनकी प्रति व्यक्ति आय और उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से आय अर्जित करने की क्षमता, शिक्षा तक पहुँच, व्यावसायिक अवसरों की उपलब्धता और पहुँच, आर्थिक निर्णयों में भागीदारी और राजनीतिक अवसरों तक उनकी पहुँच से मापा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का सबसे व्यापक तत्व है उन्हें सामाजिक पद, प्रतिष्ठा और न्याय प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख लक्षण हैं– महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक समानता और समान प्रस्थिति, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक अथवा वित्तीय सुदृढ़ता और राजनीतिक सहभागिता में समान उपस्थिति एवं साझेदारी (कुमार, 2013:29)।

दीक्षित (2013:181) के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनकी क्षमता एवं स्वतंत्रता का एहसास कराते हुए उन्हें इतना सशक्त बनाना कि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक हितों से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उनका स्वयं के प्रति एवं समाज का उनके प्रति तथा उनकी सामाजिक भूमिका के प्रति दृष्टिकोण व्यापक हो सकें।

महिला सशक्तिकरण के संकेतकों में घर में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति, आवागमन की स्वतंत्रता, समान लिंग भूमिका की स्वीकृति, शिक्षा एवं रोजगार तक पहुँच, मीडिया के संपर्क में आना–जाना, घरेलू हिंसा का अनुभव और राजनीति में भागीदारी सम्मिलित हैं (मुक्ता, 2014)।

महिला सशक्तिकरण शक्ति सम्बन्धों को महिला लिंग के पक्ष में बदलने के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो बेहतर लैंगिक समानता की ओर ले जाता है। यह महिलाओं को अपने जीवन के विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है, जो बदले में उनके कल्याण में प्रभावी रूप से सुधार करता है (बाटलीवाला, 2007)। पिछले कई दशकों में महिला सशक्तिकरण को गतिशीलता, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ाने के एक मार्ग के रूप में विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है (अफरीन, 2008)।

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम– महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक सम्मान एवं दर्जा प्रदान करना, तथा समाज में व्याप्त लिंग–भेद, महिला हिंसा को समाप्त करना। व्यक्ति–से–व्यक्ति संचार और पत्राचार, और अधिक उल्लेखनीय, सामाजिक बहुमुखी प्रतिभा, महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करती है (स्वेन & बर्गेस, 2009)। सामाजिक दबाव परिवार इकाई के भीतर निर्णय लेने के लिए महिलाओं की क्षमता को भी समायोजित कर सकता है।

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम के अन्तर्गत समाज में कानून व सुरक्षा का पाया जाना, अपराधीकरण पर रोक, महिला उत्पीड़न को यथासंभव दूर किया जाना तथा दंड प्रक्रिया में व्यापक सुधार, आर्थिक आत्म निर्भरता, शिक्षा का अधिकार, परिवार, विवाह, परिवार नियोजन, बच्चों की शिक्षा आदि सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी आदि को सम्मिलित किया जा सकता है, जो महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को निर्धारित करते हैं (मिश्र, 2017)।

सामाजिक स्तर पर महिलाएं पत्नी, माँ एवं गृहिणी की भूमिका के रूप में पहचानी जाती हैं। व्यक्तिगत रूप से उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। हमारी परम्परायें एवं रूढ़िवादी प्रथाएं, जैसे– पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यादान, पुत्री यज्ञ एवं मृत्यु के समय पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना पुरुषों को प्रभावशाली बनाता है। कुछ विचारकों के अनुसार तो पुरुष नहीं वरन् महिलाए ही महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है (शर्मा & विनायक, 2004:46)।

महिला सशक्तिकरण के आर्थिक आयाम– आर्थिक सशक्तिकरण विकास प्रक्रियाओं की ओर इस तरह योगदान करने की क्षमता है जो उनके योगदान के मूल्य को पहचानता है और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने के लिए उनके धन का उचित वितरण करता है (ओ0ई0सी0डी0, 2011)। आर्थिक कारक महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है (स्वैन & वालेंटिन, 2009)।

आर्थिक सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता, बजटीय आत्मनिर्भरता और वित्तीय साक्षरता शामिल है जो वित्तीय समृद्धि से निपटने के लिए सीखने और योग्यता की ओर ले जाती है (पोस्टमस, 2010)। आर्थिक स्वतंत्रता किसी के लिये भी स्वतंत्र होने की अनिवार्य शर्त हैं, परन्तु इतने मात्र से कोई स्त्री स्वतंत्र हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद पत्नी का अपनी कमाई पर अधिकार नहीं होता। पति ज़ोर–जबर्दस्ती से उसे छीनकर अपने हिसाब से ख़र्च अथवा दुरुपयोग करता है। इसलिये वास्तविक स्वतंत्रता तो निर्णय की स्वतंत्रता है (वर्मा, 2008)।

महिला सशक्तिकरण के आर्थिक आयामों के अन्तर्गत महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से सम्बंद्ध हस्तक्षेप, रोजगार तथा स्वअर्जित आय से संबंद्ध निर्णय, आर्थिक सशक्तता सहित निर्णय लेने की क्षमता, तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है (मिश्र, 2017)।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आर्थिक समस्याओं की पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए उनकी योग्यता व कौशल में वृद्धि कर सामाजिक एवं संस्थागत अवरोधों को दूर करने का अवसर प्रदान करना, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार ला सकें (चौधरी, 2013:7)।

महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक आयाम– लैंगिक समानता मानव अधिकारों का मूल है और सतत् विकास प्राप्त करने का आधार है। राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना अर्थव्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, राजनीतिक आरक्षण, जागरूकता और मतदान के अधिकार जैसे राजनीतिक कारक इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हैं (कबीर, 1999)। राजनीतिक सशक्तिकरण राजनीतिक जागरूकता, सत्ता की स्थिति, राजनीतिक कार्रवाई में समर्थन और राजनीतिक समूहों में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है (चटर्जी व अन्य, 2018)।

प्रशासनिक ढाँचा, सामाजिक मानक, बुनियादी नेतृत्व में स्वतंत्रता, सामाजिक लचीलापन और प्रणालियाँ भी महिला सशक्तिकरण प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं (बेटेटा, 2006)। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, मतदान करना और नेटवर्क मुद्दों को सुलझाने के लिए अनौपचारिक समूहों में राजनीतिक योगदान और समावेशन महिला सशक्तिकरण को और आगे ले जाता है (बर्धन & क्लासेन, 1999)।

महिला सशक्तिकरण समाज और पूरे राष्ट्र के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। लगभग हर समुदाय और जीवन के क्षेत्र में, महिलाओं को असमान स्थिति और दर्जा प्राप्त है, इसलिए, उन्हें समान अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना आवश्यक है (मंडल, 2013)। महिला सशक्तिकरण के सभी आयाम (सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण) अच्छी तरह से एकीकृत हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है (टेलर, 2000)।

मलिन बस्ती : उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा

मलिन बस्तियाँ मुख्यतः नगरीकरण की उपज हैं। नगरों में रोजगार पाने के लिए आसपास के लोग प्रतिदिन आते हैं और दैनिक मजदूरी, छोटे–मोटे व्यवसाय, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक आदि के रूप में काम करते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में अभ्यस्त हो जाने पर कार्यस्थल के आसपास ही न्यूनतम किराये वाले निम्नस्तरीय मकानों में अधिक–से–अधिक लोग एकसाथ रहने लगते हैं और रेल पटरियों, तालाब के किनारे, औद्योगिक केन्द्र के आसपास सार्वजनिक भूमि में अपने अस्थाई आवास का निर्माण करते हैं। इस तरह एक पूर्ण बस्ती का निर्माण हो जाता है, जिसे मलिन बस्ती कहते हैं। संकरी गलियाँ, शौचालय सुविधाओं, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं कमी के साथ एकल कमरे के आवास इन बस्तियों की विशेषतायें हैं (कुशवाहा, 2024)।

मलिन बस्तियों की बिल्कुल सटीक परिभाषा देना अत्यन्त दुरूह कार्य है। मलिन बस्तियों को किसी विशेष क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों की उत्पत्ति कहा जा सकता है। इनकी विशेषता अलग–अलग क्षेत्रों तथा राष्ट्रों में भिन्न होती हैं। मलिन बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ के घर प्रदूषित तथा द्वितीयक दर्जे के हैं, वहाँ का स्वास्थ्य स्तर निम्न स्तरीय होता है। सुरक्षा, नैतिकता, सम्पत्ति आदि का वहाँ के निवासियों में अभाव होता है (फोर्ड, 1936:117)। बर्गेल (1965:93) ने मलिन बस्तियों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया है जहाँ नगर के अन्दर द्वितीयक दर्जे की स्थिति है। एक अच्छा भवन जो तीव्र प्रदूषित स्थिति में अवस्थित है, उपेक्षित है, मलिन बस्ती का निर्माण नहीं करता है।

मलिन बस्तियों की बुनियादी विशेषताओं में अपर्याप्त आवास और स्वच्छ हवा प्रवाह की कमी, अत्यधिक भीड़भाड़, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल की कमी और बुनियादी भौतिक और सामाजिक सेवाओं की अनुपलब्धता आदि सम्मिलित हैं। मलिन बस्तियों को मलिन बस्तियाँ (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ के भवनं किसी भी तरह से मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं या जीर्ण–शीर्ण, अत्यधिक भीड़भाड़, ऐसे भवनों की दोषपूर्ण व्यवस्था और बनावट,

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सड़कों की संकीर्णता या दोषपूर्ण व्यवस्था, स्वच्छ हवा, प्रकाश, स्वच्छता सुविधाओं की कमी या इनमें से किसी भी कारक के संयोजन के कारण हैं, जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए हानिकारक हैं।

भारत की जनगणना, 2001 में मलिन बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

- किसी भी अधिनियम के तहत राज्य/स्थानीय सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित सभी क्षेत्र;
- राज्य/स्थानीय सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मलिन बस्ती के रूप में मान्यता प्राप्त सभी क्षेत्र जिन्हें किसी भी अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से कलंक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है;
- कम से कम 300 आबादी या लगभग 66–70 घरों का एक सघन क्षेत्र, जो खराब ढंग से निर्मित भीड़भाड़ वाले मकानों में हैं, आमतौर पर अस्वास्थ्यकर वातावरण में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और उचित स्वच्छता तथा पीने के पानी की सुविधाओं के कमी के साथ रहते हैं।

मलिन बस्ती वह निम्न स्तरीय शहरी क्षेत्र है जिसके निवासी न्यूनतम स्तर पर भी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसका निवास–स्थान निम्न स्तरीय व गन्दगीयुक्त है और जमीन पर सुरक्षा अधिकार का अभाव है। प्रत्येक मलिन बस्ती अपनी उत्पत्ति, स्थिति, आकार, एवं भौगोलिक विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होती है एवं उसकी सभी विशेषताएं समान नहीं होती हैं। ये विभिन्न कारणों से अलग–अलग हो सकती हैं जैसे उत्पत्ति,, आर्थिक स्थिति, भवनों की संख्या, सम्पत्ति की स्थिरता, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शौचालय की स्थिति, नैतिकता, जीवन विधि, जीवन स्तर, दूसरे समुदायों से अलगाव आदि (उन्नी, 1998)।

डिकिन्सन (1964:435) के अनुसार 'मलिन बस्ती गिरावट की एक अतिशयात्मक दशा है जिसमें मकान इतने अधिक अनुपयुक्त हो जाते हैं कि वे समुदाय के स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के लिए समस्या या खतरा बन जाते हैं'। पश्चिमी देशों में, जहाँ जीवन स्तर बहुत ऊँचा है, के संदर्भ में आवासीय क्षेत्रों का मूल्यांकन आर्थिक–सामाजिक स्तर पर अधिक किया जाता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके द्वारा विभिन्न देशों में मलिन बस्तियों को जाना जाता है। अमेरिका में ऐसी बस्तियों को घेटो, स्किड रो, बार्यो, हुड, आदि नामों से जाना जाता है। भारत में मलिन बस्तियों को स्थानीय स्तर पर अलग–अलग नामों से सम्बोधित किया जाता है; जैसे– मुम्बई में इन्हें चाल, कानपुर में अहाते, कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में चेरी, दिल्ली में कटरा, खान क्षेत्रों में धोवरा तथा बागान क्षेत्रों में बैरेक्स कहा जाता है (भारती & त्रिपाठी, 2018)।

एन.एस.एस.ओ. (65वाँ चक्र) की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 50 हजार गंदी बस्तियाँ हैं, जिनमें से 24 प्रतिशत नालों के किनारे आबाद हैं, जबकि 12 प्रतिशत रेल पटरियों

के इर्दगिर्द बसी हुई हैं। देश की करीब 57 प्रतिशत झुग्गी झोपड़ियाँ सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई हैं। इन मलिन बस्तियों में रोटी, कपड़ा और मकान के आयाम दशकों से ज्यों के त्यों ही हैं। उतरन, झूठन और टाट–पन्नी, ही इन मलिन बस्तियों का भाग्य है। नारकीय जीवन की तमाम विशेषतायें यहाँ मौजूद रहती हैं। भारत में छोटे एवं मध्यम आकार के नगर भी बड़े नगरों की भाँति मलिन बस्तियों की समस्या का सामना कर रहे हैं।

भारतीय संदर्भ में मलिन बस्तियों के विकास का प्रमुख कारण नगरीकरण तथा औद्योगीकरण है। भारतवर्ष के प्रायः अधिकांश उद्योग नगरों में सीमित हैं तथा पिछले चार–पाँच दशकों में इनका अत्यधिक विकास हुआ है। उद्योग व व्यवसाय के लिए अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बड़े पैमाने पर इन केन्द्रों में मनुष्यों का एकत्रीकरण होता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज है कि नगर आयोजक माँग के सापेक्ष सुविधाएँ नहीं दे पाते। परिणामस्वरूप लोग अनाधिकृत भूमि पर अस्थायी निवास निर्मित कर लेते हैं और धीरे–धीरे यही निवास क्षेत्र मलिन बस्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य का स्तर निम्न होता है, वहाँ का पर्यावरण एक ऐसी निम्न मानसिकता को जन्म देता है जिसके पनपने से अपराध व व्यभिचार को बढ़ावा मिलता है (शुक्ल, 2014:34)। चूँकि इन बस्तियों में कानून व्यवस्था का प्रायः अभाव पाया जाता है फलतः ये बस्तियाँ अपराधों की केन्द्र व अपराधियों की शरणस्थली बन जाती हैं (सदरलैण्ड, 1939:194)।

मलिन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मलिन बस्तियों को प्राथमिक अवस्था में पारिस्थितिकीय शर्त के आधार पर परिभाषित किया जाता है जिसमें कुस्वास्थ्य पर ध्यानाकर्षण, अमानवीय निवास, स्वच्छता एवं शौचालय सुविधाओं की कमी के आधार पर इसकी विशेषता बतायी जाती हैं। मलिन बस्तियों के निवासी अपने सुनहरे भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होते एवं उनमें महत्वाकांक्षा तथा प्रेरणा की कमी होती है, जो उन्हें शीघ्र ही निराशावादी एवं मानसिक बीमार बना देती है (नाथ, 2008:78)।

साहित्य की समीक्षा

समाजशास्त्र में नगरीय समुदाय पर अध्ययन की परम्परा पुरानी है। इसकी जड़ें फर्डीनेण्ड टॉनीज के ''कम्युनिटी एण्ड सोसायटी'' (1887) के अध्ययन एवं इमाइल दुर्खीम के ''दि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसायटी'' (1893) के रूप में देखी जा सकती हैं। टॉनीज (1887) ने पूर्व औद्योगिक एवं औद्योगीकृत समाजों में मानव अन्तःक्रियाओं के प्रकारों का अध्ययन किया है। उनका तर्क है कि पूर्व औद्योगिक समाज की दुनिया परिवार, नातेदारी एवं पड़ोस के घनिष्ठ सम्बन्धों से बंधी होती है। इस सरल/घनिष्ट समाज (जेमिनशाफ्ट) में व्यक्ति एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। जबकि जटिल/आधुनिक समाज (गेसेलशाफ्ट) की दुनिया में सम्बन्ध व्यक्तिपरक, कार्य एवं निहित स्वार्थ पर आधारित होते हैं। इस समाज में सामुदायिकता की भावना का अभाव पाया जाता है। वहीं दुर्खीम (1993) सामाजिक सम्बन्धों को जटिल श्रम विभाजन के रूप में देखते हैं। वह तर्क देते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या अपनी उच्चस्तरीय कुशलता के आधार पर श्रम विभाजित होती

है, जिसमें सामान्य मूल्यों के स्थान पर कुशलता पर आधारित एक–दूसरे पर आश्रितता का भाव रहता है।

ऑस्कर लेविस ने अपनी पुस्तक *''दि चिल्ड्रेन ऑफ सांचेज''* (1961) में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के प्रति मानववादी एवं भावनात्मक पहचान को प्रमुखता दी है। कुछ वर्षों बाद हरबर्ट जे0 गैन्स ने अपनी पुस्तक *''दि अर्बन विलेजर्स : ग्रुप एण्ड क्लास इन दि लाइफ ऑफ इटालियन–अमेरिकन्स''*(1962) में यह दर्शाने का प्रयास किया है कि नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले पड़ोसियों के बीच गहरे आपसी सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं। वह अपने अवलोकन में पाते हैं कि साथी समुदाय अथवा साथी समूह/संस्थाएं आन्तरिक एवं बाहरी दुनिया से घनिष्ठता से जुड़े होते हैं, जिनमें पारिवारिक अथवा सम्बन्धात्मक एकजुटता से परे एकता का भाव देखा जा सकता है।

चियापा & अन्य (2016) ने अपने अध्ययन में, मलिन बस्तियों के 1,236 परिवारों की समीक्षा करते हुए, महिला मुखियाओं की क्षेत्रीय जाँच द्वारा पाया कि बचत बैंक खातों तक पहुँच से निर्धन परिवारों को अपनी संपत्तियों को बेहतर ढंग से संभालने, शिक्षा और उपभोग व्यय को प्राथमिकता देने और अपनी वित्तीय–आर्थिक परिस्थितियों के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करने में मदद मिलती है।

भाटिया & सिंह (2021) ने पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को वित्तीय समावेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयामों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में चयनित क्षेत्र की मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं पर प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संरचित प्रश्नावली द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया है। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि पीएमजेडीवाई योजना मलिन बस्तियों में महिलाओं के मामले में काफी सफल रही है और इसका महिला सशक्तीकरण के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शर्मा & जैन (2023) ने इंदौर जिले की भोलेनाथ कॉलोनी की मलिन बस्ती की महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने, परिवार में उनकी स्थिति, निर्णय लेने की सामर्थ्य तथा उनके निर्णयों को महत्त्व दिए जाने की स्थिति का अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया गया कि आर्थिक रूप से सक्षम होने से महिलाओं की परिवार में भागीदारी बढ़ी है, उनके विचारों और भावनाओं का भी परिवार के सदस्य ध्यान रखते हैं तथा यह भी देखने में आया कि आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं में विपरीत परिस्थितियों से जूझने की ताकत आ गयी है।

शोध प्रचना– प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, जिसमें वर्णनात्मक शोध प्रचना का प्रयोग किया गया है। इसमें प्राथमिक आँकड़ों के संकलन के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित लखनऊ नगर में स्थित कुल 609 मलिन बस्तियों में से 05 अधिसूचित मलिन बस्तियों (रूपपुर खदरा, इरादतनगर, मक्कागंज, नेहरूनगर, एवं तातारपुर मलिन बस्ती)

का सोद्देश्य चयन किया गया है, तथा प्रत्येक चयनित मलिन बस्ती में निवास करने वाली 35–35 वयस्क महिलाओं (कुल 175 महिलाएं) का दैव निदर्शन की व्यवस्थित विधि से चयन किया गया है। चयनित महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से शोध विषय से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण– लिंग आधारित सत्ता संबंधों और महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए समाज के सत्ता संदर्भों की समझ ज़रूरी है। भारतीय परिवेश में इसका अर्थ होगा, महिलाओं को अपने जन्म और समाजीकरण से मिली जाति की समीक्षा के साथ–साथ उनकी पहचान और दर्जे को सांस्कृतिक और ढाँचागत सच्चाइयों के माध्यम से समझना। अतः मलिन बस्तियों में निवास करने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए इसमें जाति, वर्ग और पितृसत्ता के त्रिकोण व उससे उपजे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सत्ता संबंधों पर भी गौर करना ज़रूरी हो जाता है (वेलास्कर, 2008)।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के रूप में चयनित लखनऊ नगर की मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति के समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रस्थिति से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन कर उनका विश्लेषण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है–

पारिवारिक प्रस्थिति– वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप पारम्परिक सामाजिक संरचना में परिवर्तन तो आया है, परन्तु आज भी महिलाओं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक व अन्य क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में निम्न ही है। समान अधिकारों के वातावरण के बावजूद व्यवहारिक जीवन में महिलाओं का स्थान गौण ही है (कुमार, 2012)। परिवार में भेदभाव के कुछ प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और स्वास्थ्य देखरेख में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मिलने वाला कम भाग, संसाधन संग्रह में सहभागिता होने पर भी उनके पुनर्वितरण में असमानता, बच्चों के लिये पौष्टिक आहार का दायित्व और मुख्यतः गरीब और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों की आर्थिक दशाओं में पिता की अपेक्षा माता की आय पर बच्चों की निर्भरता आदि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका परिवार के अंदर ही मूल्यांकन किया जा सकता है (सारस्वत, 2007:65)।

उत्तरदाताओं की पारिवारिक प्रस्थिति का पता लगाने के लिए साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाताओं को परिवार में उचित सम्मान मिलने, परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय लेने एवं उसे महत्व दिये जाने, परिवार में उनके साथ दुर्व्यवहार/हिंसा होने की स्थिति, पारिवारिक कार्यक्रमों में उचित महत्व मिलने, परिवार में उनके साथ लैंगिक भेदभाव होने, परिवार में उनकी बात को गम्भीरता से लिया जाना, पर्दा प्रथा अपनाने के लिए कहा जाना आदि से सम्बन्धित प्रश्न रखे गये थे, जिनके लिए 05 विकल्प रखे गये थे। उत्तरदाताओं द्वारा चयनित विकल्प के आधार पर परिवार में उनकी प्रस्थिति के प्राप्तांकों की गणना की

गयी है तथा कुल प्राप्तांकों के आधार पर परिवार में उत्तरदाताओं की प्रस्थिति को तीन समूहों (निम्न, मध्यम एवं उच्च) में वर्गीकृत कर उनका विश्लेषण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

तालिका सं0 1 : परिवार में उत्तरदाताओं की प्रस्थिति

पारिवारिक प्रस्थिति	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
निम्न	41	23.43
मध्यम	72	41.14
उच्च	62	35.43
योग	**175**	**100.00**

तालिका सं0 1 में परिवार में उत्तरदाताओं की प्रस्थिति के अनुसार उनका वितरण प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक (41. 14%) उत्तरदाताओं की पारिवारिक प्रस्थिति मध्यम है, जबकि 35.43% उत्तरदाताओं की पारिवारिक प्रस्थिति उच्च एवं 23.43% उत्तरदाताओं की पारिवारिक प्रस्थिति निम्न है।

सामाजिक प्रस्थिति— उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति का पता लगाने के लिए साक्षात्कार अनुसूची में समाज में लिंग—आधारित भेदभाव की भावना, महिला होने के कारण कम सम्मान व महत्व मिलना, पुरुषों द्वारा उत्तरदाताओं के उत्पीड़न की स्थिति, सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किये जाने, भाग लेने एवं उचित महत्व मिलने की स्थिति, अपने समाज से उचित सहयोग प्राप्त होने व उनकी बात को गम्भीरता से लिये जाने की स्थिति आदि से सम्बन्धित 11 प्रश्न रखे गये थे, जिनके लिए 05 विकल्प रखे गये थे। उत्तरदाताओं द्वारा चयनित विकल्प के आधार पर उनकी सामाजिक प्रस्थिति के प्राप्तांकों की गणना की गयी है तथा सामाजिक प्रस्थिति के कुल प्राप्तांकों के आधार पर उत्तरदाताओं को तीन समूहों (निम्न, मध्यम एवं उच्च) में वर्गीकृत कर उनका विश्लेषण निम्नवत् किया गया है—

तालिका सं0 2 : उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति

सामाजिक प्रस्थिति	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
उच्च	36	20.57
मध्यम	58	33.14
निम्न	81	46.29
योग	**175**	**100.00**

तालिका सं0 2 से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक (46.29%) उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है, जबकि 33.14% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति मध्यम एवं 20.57% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति– महिलाओं को अवैतनिक आर्थिक गतिविधियों का सबसे ज्यादा भार उठाना पड़ता है। लिहाजा, अकसर उनके आर्थिक योगदान को गिना ही नहीं जाता है। जहाँ मजदूरी मिलती है वहाँ भी वे 'अदृश्य' या दिखाई न पड़ने वाली श्रम गतिविधियों में ही ज्यादा संलग्न हैं, जैसे घरेलू मजदूरी और घरखाता मजदूरी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो औपचारिक श्रम पंजीकरण व्यवस्था से बाहर हैं। उदारीकृत आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप शहरी इलाकों में रोजगारों में गिरावट मलिन बस्तियों में रहने वाली गरीब तबके की महिलाओं के मामले में सबसे तीव्र रही है। यह महिलाओं की सामाजिक हैसियत और रोजगार की संभावनाओं के बीच गहरे संबंध का द्योतक है। ये महिलाएं बहुत कम तनख्वाह वाले अकुशल श्रम या दिहाड़ी मजदूरी में केंद्रित हैं और लगातार गिरती मजदूरी के कारण उनके सामने श्रम शक्ति में सहभागिता से बाहर निकलने का खतरा बना रहा है। श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानून आमतौर पर परिवार के पुरुष मुखिया की सुरक्षा और लाभों पर केंद्रित होते हैं और महिलाओं को समान पहुँच से वंचित कर देते हैं (नीता, 2013)।

उत्तरदाताओं के आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति का पता लगाने के लिए साक्षात्कार अनुसूची में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सेवायोजन की प्रकृति एवं स्थान सम्बन्धी प्राथमिकताएं, नये व आधुनिक रोजगार अपनाने की स्थिति, अर्जित धन के उपयोग की प्रकृति एवं इसमें निर्णायक भूमिका आदि से सम्बन्धित 10 प्रश्न सम्मिलित किये गये थे। प्राप्त उत्तरों के आधार पर उत्तरदाताओं के आर्थिक सशक्तिकरण को तीन वर्गों (उच्च, मध्यम, व निम्न) में विभक्त कर उनका विश्लेषण निम्नवत् किया गया है–

तालिका सं0 3 : आर्थिक सशक्तिकरण के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
उच्च	43	24.57
मध्यम	62	35.43
निम्न	70	40.00
योग	**175**	**100.00**

तालिका सं0 3 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (40.00%) उत्तरदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण निम्न है, जबकि 35.43% उत्तरदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण मध्यम एवं 24.57% उत्तरदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण उच्च है।

राजनीतिक सशक्तिकरण– राजनीतिक क्षेत्र में सशक्तिकरण की प्रक्रिया नागरिकों द्वारा सार्वभौमिक सत्ता की वैधता की प्राप्ति, नागरिकों में वयस्क मताधिकार के आधार पर राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का विस्तार तथा नीति निर्माण आदि के रूप में दृष्टव्य होती है। राजनीति महिलाओं के उत्पीड़न को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे हथियार की तरह जो उन्हें मौजूदा सत्ता

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

के नजदीक ले जाए और उसका भागीदार बनाए। यह भागीदारी सम्पूर्ण महिला समाज के सशक्तिकरण के रूप में सामने नहीं आती बल्कि उस शिक्षित मध्यवर्ग तक ही सीमित रहना चाहती है जो महिलाओं के नाम पर मौजूदा सत्ता में अपना हिस्सा वसूल करना चाहता है (पारख, 2004)।

यद्यपि धीरे–धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आया और प्रत्येक जाति व वर्ग की महिलाओं ने अपने परिवार की छाया से बाहर आकर अपनी इच्छा से फैसला लेना प्रारम्भ कर दिया है, बल्कि कुछ महिलाएं तो प्रभुत्वशाली या तथाकथित पद–निर्माताओं की इच्छाओं के विरुद्ध अपनी मर्जी से फैसले ले रहीं हैं। यहीं नहीं अनेक महिलाओं ने असुरक्षित सीटों पर भी विजय प्राप्त की है। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक शिक्षा, औद्योगीकरण एवं संचार माध्यमों ने महिलाओं के राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया है। अब वे पूरी दृढ़ता के साथ न केवल अपना पक्ष रख रही हैं, बल्कि गलत बातों का उचित जवाब भी दे रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं की राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति का पता लगाने के लिए साक्षात्कार अनुसूची में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने, अपनी इच्छानुसार वोट देने, राजनीति रुचि के क्षेत्र, महिलाओं का राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के बारे में राय, परिवार का सहयोग/प्रोत्साहन मिलने की स्थिति आदि राजनीतिक सशक्तिकरण से सम्बन्धित कुल 10 प्रश्न सम्मिलित किये गये थे। प्राप्त उत्तरों के आधार पर उत्तरदाताओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के स्तर को तीन वर्गों (निम्न, मध्यम एवं उच्च) में विभक्त कर उनका विश्लेषण निम्नवत् किया गया है–

तालिका सं0 4 : राजनीतिक सशक्तिकरण के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
निम्न	64	36.57
मध्यम	69	39.43
उच्च	42	24.00
योग	**175**	**100.00**

तालिका सं0 4 से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक (39.43%) उत्तरदाताओं में राजनीतिक सशक्तिकरण का स्तर मध्यम है, जबकि 36.57% उत्तरदाताओं में राजनीतिक सशक्तिकरण का स्तर उच्च एवं 24.00% उत्तरदाताओं में राजनीतिक सशक्तिकरण का स्तर निम्न है।

निष्कर्ष

संकलित सूचनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि–

- तीन–चौथाई से भी अधिक (76.57%) उत्तरदाताओं की पारिवारिक प्रस्थिति मध्यम (41.14%) या उच्च (35.43%) है।

- तीन–चौथाई से भी अधिक (79.43%) उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न (46. 29%) या मध्यम (33.14%) है।
- तीन–चौथाई से भी अधिक (75.43%) उत्तरदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण निम्न (40.00%) या मध्यम (35.43%) है।
- तीन–चौथाई से भी अधिक (76.00%) उत्तरदाताओं में राजनीतिक सशक्तिकरण का स्तर मध्यम (39.43%) या उच्च (36.57%) है।

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की पारिवारिक प्रस्थिति तो संतोषजनक है, परन्तु उनकी सामाजिक प्रस्थिति अभी भी निम्न है। इसी तरह मलिन बस्तियों की महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण का स्तर तो अच्छा है, परन्तु उनके आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति असंतोषजनक है। सम्भवतः शिक्षा का निम्न स्तर, परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति एवं निम्न स्तर की व्यावसायिक गतिविधियाँ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की असंतोषजनक स्थिति के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक हैं।

सन्दर्भ

1. अफरीन, एस0 (2008). ''ए मल्टीवैरिएंट मॉडल ऑफ माइक्रो–क्रेडिट एण्ड रूरल वूमेन इंटरप्रुनरशिप डेवलपमेंट इन ब्रगलादेश''. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एण्ड मैनेजमेंट, 16*(1): 169–185.
2. उन्नी, जे0 (1998). *वूमेन इन दि इनफारमल सेक्टर : साइज एण्ड कंट्रब्यूशन ऑफ जी0डी0पी0.* अहमदाबाद : गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च.
3. एन0एस0एस0ओ0 (2009). *शहरी मलिन बस्ती सर्वेक्षण रिपोर्ट.* नई दिल्ली : भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय.
4. ओ0ई0सी0डी0 (2011). *वूमेन्स इकोनॉमिक इम्पावरमेंट.* पेरिस : ओईसीडी पब्लिशिंग.
5. कबीर, एन0 (1999). ''रिसोर्सेस, एजेंसी, अचीवमेंट्स : रिफ्लेक्शन्स आन दि मेजरमेंट ऑफ वूमेन्स इम्पावरमेंट''. *डेवलपमेंट एण्ड चेंज, 30*(3): 435–464.
6. कुमार, ए0 (2012). ''दि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आन फैमिली स्ट्रेक्चर : ए सोशियोलॉजिकल स्टडी''. *दि जर्नल ऑफ एक्पेरीमेंटल साइंस, 3*(1): 10–13.
7. कुमार, पी0 (2013). महिला सशक्तिकरण एवं उनके अधिकार. *मानव अधिकार : नई दिशाएँ,* 10: 29–44.
8. कुशवाहा, पी0 (2024). ''मलिन बस्तियाँ : समस्याएँ एवं समाधान राँची शहर के संदर्भ में''. *आई0जे0सी0आर0टी0, 12*(7): 165–173.
9. क्लासेन, एस0 (2002). ''लो स्कूलिंग फार गर्ल्स, स्लोवर ग्रोथ फार आल : क्रास–कंट्री इवीडेंस आन दि इफेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन एजूकेशन आन इकोनॉमिक डेवलपमेंट''. *दि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू, 16*(3): 345–373.
10. क्लासेन, एस0 एण्ड लामन्ना, एफ0 (2009). ''दि इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन एजूकेशन एण्ड इम्प्लायमेंट आन इकोनॉमिक ग्रोथ : न्यू इवीडेंस फार ए पेनल ऑफ कंट्रीज''. *फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स, 15*(3): 91–132.
11. गैन्स, हरबर्ट जे0 (1962). *दि अर्बन विलेजर्स : ग्रुप एण्ड क्लास इन दि लाइफ ऑफ इटालियन–अमेरिकन्स.* न्यूयार्क : फ्री प्रेस.

12. चटर्जी, एस0, दत्ता, एस0 एण्ड उपाध्याय, पी0 (2018). ''इम्पावरिंग वूमेन एण्ड सिमुलेटिंग डेवलपमेंट एट बॉटम ऑफ पिरामिड थ्रू माइक्रो–इंटरप्रुनरशिप''. *मैनेजमेंट डिसीजन, 56*(1): 160–174.
13. चियापा, सी0, प्रिना, एस0 एण्ड पार्कर, ए0 (2016). ''दि इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इनक्लूशन आन चिल्ड्रिन स्कूलिंग एण्ड पैरेंटल एसपारेशन्स एण्ड एक्सपेक्टेशन्स''. *जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 28*(5): 683–696.
14. चौधरी, के0सी0 (2013). ''ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण''. *कुरुक्षेत्र, 59*(10): 7–12.
15. टेलर, जे0 (2000). *सो नाउ दे आर गोइंग टू मेजर इम्पावरमेंट.* केप टाउन, साउथ अफ्रीका : कम्युनिटी डेवलपमेंट रिसोर्स एसोसिएशन.
16. टोनीज, एफ0 (1887). *जेमिनशाफ्ट एण्ड गेसेलशाफ्ट.* (इन 1957 पब्लिश्ड ऐज ''कम्युनिटी एण्ड सोसायटी''). ईस्ट लांसिग : मिशीगन स्टेट युनीवर्सिटी प्रेस.
17. डिकिन्सन, आर0ई0 (1964). *सिटी, रीजन एण्ड रीजनलिज्म.* लंदन : रूटलेज एण्ड केगनपाल लि0.
18. दीक्षित, ए0 (2013). ''भारत में महिला सशक्तिकरण''. *रिसर्च जर्नल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंसेस, 9*(5): 180–85
19. दुर्खीम, ई0 (1893). *दि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसायटी.* (ओरिजनली पब्लिश्ड इन फ्रेंच एण्ड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई डब्ल्यू0डी0 हाल्स इन 1997). न्यूयार्क : फ्री प्रेस.
20. नाथ, एन0 (2008). *ग्रोइंग अप इन स्लम्स.* नई दिल्ली : मानक पब्लिकेशंस.
21. नारंग, ए0एस0 (2009). *भारतीय शासन और राजनीति.* नई दिल्ली : गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस.
22. नीता, एन0 (2013). ''इनइक्वेलिटीज रिइनफोर्स्ड? सोशल ग्रुप, जेंडर एण्ड इम्प्लायमेंट''. *सी0ढब्ल्यू0डी0एस0 अकेशनल पेपर्स, नं0–59.* नई दिल्ली : सेंटर फॉर वूमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज.
23. पारख, जे0 (2004). ''स्त्री एवं दलित आंदोलन के लक्ष्य एक हैं''. *युद्धरत आम आदमी, 70*(1): 2–4.
24. पिल्लई, जे0के0 (1995). *वूमेन एण्ड इम्पावरमेंट.* नई दिल्ली : ज्ञान पब्लिंशिग हाउस.
25. पेज, एन0 एण्ड जुबा, सी0ई0 (1999). ''इम्पावरमेंट : व्हाट इट इज''. *जर्नल ऑफ इक्टेंशन, 37*(5): 1–5.
26. पोस्टमस, जे0एल0 (2010). *इकोनॉमिक इम्पावरमेंट ऑफ डोमिस्टिक वायलेंस सरवाइवर्स.* हेरिसबर्ग पी0ए0 : वीएडब्ल्यूनेट एप्लाइड रिसर्च फोरम, नेशनल रिसोर्स सेंटर आन डोमिस्टिक वायलेंस.
27. प्रसाद, आर0 (2016). ''महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन''. *आई0ओ0एस0आर0–जे0एच0एस0एस0, 21*(2): 57–60.
28. फोर्ड, जे0 (1936). *स्लम एण्ड हाउसिंग.* कैम्ब्रिज : हावर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस.
29. बर्गल, ई0ई0 (1965). *अर्बन सोशियोलॉजी.* न्यूयार्क : मैकग्राहिल इंक0.
30. बर्धन, के0 एण्ड क्लासेन, एस0 (1999). ''यूएनडीपीज जेण्डर रिलेटेड इण्डिसीस : ए क्रिटिकल रिव्यू''. *वर्ल्ड डेवलपमेंट, 27*(6): 985–1010.
31. बाटलीवाला, एस0 (2007). ''टेकिंग दि पावर आउट ऑफ इम्पावरमेंट – एन एक्सपेरीमेंटल एकाउंट''. *डेवलपमेंट इन प्रेक्टिस, 17*(4–5): 557–565.
32. बारकर, आर0एल0 (1991). ''दि पालिटिक्स आफ इम्पावरमेंट''. *सोशल वर्क, 3*: 36–41
33. बेटेटा, एच0सी0 (2006). ''व्हाट इज मिसिंग इन मेजर्स आफ वूमेन इम्पावरमेंट''. *जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 7*(2): 221–241.

34. भाटिया, एस0 एवं सिंह, एस0 (2021). ''वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनानाः शहरी मलिन बस्तियों का एक अध्ययन''. *विकल्प : दि जर्नल फार डिसीजन मेकर्स, 14*(4): 1–9.
35. भारती, पी0 एवं त्रिपाठी, वाई0पी0 (2023). ''भारतीय मलिन बस्तियों का सामाजिक अध्ययन''. *ह्यूमिनिटीज एण्ड डेवलपमेंट, 18*(1): 111–120.
36. मंडल, के0सी0 (2013). ''कंसेप्ट एण्ड टाइप्स ऑफ वूमेन इम्पावरमेंट''. *इंट. फोरम टीच.स्टड., 9*: 17–30.
37. मिश्र, वी0एल0 (2017). ''महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम एवं नीतिगत क्रियान्वयन''. *इन्नोवेशन दि रिसर्च कंसेप्ट, 2*(7): 168–173.
38. मुक्ता, एम0 (2014). ''इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन इन इण्डिया : ए क्रिटिकल एनालिसिस''. *इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 60*: 473–488.
39. मोजर, सी0 (1989). जेण्डर प्लानिंग इन दि थर्ड वर्क : मेडिकेटिंग प्रेक्टिकल एण्ड स्ट्रेटेजिक जेण्डर नीड्स. *वर्ल्ड्स डेवलपमेंट, 10*(11): 1799–1825.
40. मोतीयानी, पी0 (1998). *महिला विकास की नई दिशाएं.* अहमदाबाद : कनावटी पब्लिकेशन.
41. मोहन, एम0 (2012). ''सशक्तिकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण''. *योजना, 56*(6): 43–46
42. लेविस, ओ0 (1961). *दि चिल्ड्रेन ऑफ सांचेज.* (विंटेज एडीशन 1963). न्यूयार्क : रेण्डम हाउस.
43. वर्ल्ड बैंक ग्रुप एण्ड फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन ऑफ दि यूनाइटेड नेशंस (2018). *मेल आउटमाइग्रेशन एण्ड वूमेन्स वर्क एण्ड इम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर : दि केस ऑफ नेपाल एण्ड सेनेगल.* वाशिंग्टन, डी0सी0 : दि वर्ल्ड बैंक ग्रुप.
44. वर्मा, एस0के0 (2008). ''सशक्तिकरण के भारतीय संदर्भ''. *योजना, 53*(10): 23–27.
45. वेलास्कर, पी0 (2008). ''जाति, वर्ग और पितृसत्ता के त्रिकोण में दलित महिला दमन''. *हम सबला,* 5:,4–6.
46. शर्मा, पी0 एवं जैन, एन0 (2023). ''मलिन बस्ती की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण''. *आई0जे0आर0टी0आई0, 8*(3): 174–179.
47. शर्मा, पी0एन0 एवं झा, एस0के0 (2008). *महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास,* लखनऊ : भारत बुक सेंटर.
48. शर्मा, पी0एन0 एवं विनायक, वी0 (2004). *गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण,* लखनऊ : भारत बुक सेन्टर.
49. शर्मा, सी0एल0 (2008). ''लैंगिक पूर्वाग्रह बनाम औरत की बराबरी'' *युद्धरत आम आदमी, 90*(1): 64–65.
50. शुक्ल, अखिलेश. 2014. *भारत में नगरीय समाज (कस्बे एवं नगर).* गायत्री प्रकाशन, रीवा.
51. सदरलैण्ड. ई0एच0. 1939. *प्रिंसपिल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी.* शिकागो : शिकागो युनीवर्सिटी प्रेस.
52. सारस्वत, एस0 (2007). *महिला विकास :एक परिदृश्य.* दिल्ली : नमन प्रकाशन.
53. सिंह, आर0 (2012). ''स्त्री शक्ति – महिला सशक्तिकरण''. *योजना,* 56(6): 39–42
54. सेट्टी, ई0डी0 एण्ड मूर्ति, पी0के0 (2001). *वूमेन इम्पावरमेंट थ्रु इंटरप्रन्युवरशिप डेवलपमेंट.* नई दिल्ली : अनमोल पब्लिकेशंस प्रा0 लि0.
55. स्वैन, आर0बी0 एण्ड वर्गेस, ए0 (2009). ''डज सेल्फ–हेल्प ग्रुप पार्टिशिपेशन लीड टू एसेट क्रिएशन''. *वर्ल्ड डेवलपमेंट, 37*(10): 1674–1682.